

फर्द अहकाम

(नियम 13)

अज अदालत तहसीलदार/नायब तहसीलदार सिणधरी तहसील सिणधरी

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी

बनाम

श्री. मोहन राय

हलका सिणधरी

पुत्र श्री. शिवराय जाति. गीत

निवासी सिणधरी चारवान

किस्म मुकदमा धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 मु.नं. 05 वर्ष 2021

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाहीमय इनिशियलस जज	हुकम और तारीख तामिल की
31-3-2021	पटवारी हलका सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर सूचित किया कि उक्त अप्रार्थी ने संवत् 2022 में मौजा सिणधरी-धा. 70 के खसरा नंबर 23/2 रकबा 0.5582 किस्म भूमि कृ. मु. गोचर पर नाजायज अतिक्रमण कर काशत व कब्जा किया है, अतः राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक 16-4-2021 को बमुकाम सिणधरी में पेश हों।	
16-4-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सापत्य 34/4/2021 गैर सापत्य में जवाब हेतु सापत्य चाहा जो दिनांक 29-4-2021 को पेश हो।	
29-4-2021	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर पत्रावली पेश हुई। गैर सापत्य अनुपस्थित। गैर सापत्य को जवाब हेतु सुवकर दिनांक 13-5-2021 को पेश हो।	म. नं. मोहनराय 16/4/2021
	तहसीलदार सिणधरी जिला-बाड़मेर	


13-5-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर आपत्त अनुपात्त।  
गैर आपत्त को जवाब हेतु अवसर दिना  
जाकर पत्रावली दिनांक 28-5-2021 को पेश है।

तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

28-5-2021

पत्रावली पेश हुई। गैर आपत्त अनुपात्त।  
गैर आपत्त को जवाब पेश करने हेतु अवसर  
दिने जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत  
नहीं किया, गैर आपत्त को अतिक्रमण  
हूए पत्रावली फेलत सुमार है। निर्णय  
अलग से लिखा जाकर शीघ्र पत्रावली  
है। निर्णय शुले आपालप के सुनाया गया  
पत्रावली फेलत सुमार होकर नंबर से  
कम होकर दाखिले दफतर है।

  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-वाड़मेर

N.O. 22 के राजस्व लेखा परिच्छेद स. 4 के  
अनु. 1.5 पर क्र.सं. 04 पर मुमाना/फसल  
निलामी राशि रु. 50/- की मांग दर्ज की गई।

N.O. 22  
तहसील राजस्व सिखाका  
तहसील सिणधरी

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर-05/2021

संवत्:-2078

राजस्थान सरकार जरिये

बनाम

मोहनशंकर खेताराणी गीत

पटवारी हल्का सिणधरी

निवासी सिणधरी-बाड़मेर

निर्णय

दिनांक:-28-5-2021

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि हल्का पटवारी सिणधरी ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2072 में राजस्व ग्राम सिणधरी-बाड़मेर के खसरा नम्बर 23 में कुल रकबा 6.14 बीघा किस्म भूमि के अतिक्रमण में से रकबा 3.09 बीघा भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से वेदखली के आदेश दिये हैं। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरुद्ध वार्षिक भू-राजस्व लगान 145 रूपये का राउण्ड अपेक्षा का 50 गुणा अर्थात् 50 रूपये (अक्षरे 50 रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से वेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

तहसीलदार सिणधरी  
तहसीलदार सिणधरी  
जिला-बाड़मेर